वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 78 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 35-ख के खण्ड (2) के उप-खण्ड (क) में यथा विनिर्दिष्ट सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 6) के अधीन भागीदारी फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी या असूचीबद्ध पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन संबंधी लिखतों पर दस हजार रुपये से अधिक प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण फीस का परिहार किया जायेगा।

[एफ.4(3)वित्त/कर/2017-123]
राज्यपाल के आदेश से,

शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 78 of the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that the registration fees chargeable in excess of rupees of ten thousand on the instrument relating to conversion of partnership firm, private limited company or unlisted public limited company into limited liability partnership under the Limited Liability Partnership Act, 2008 (Central Act No. 6 of 2009) as specified in sub-clause (a) of clause (2) of Article 35-B of the Schedule to the Rajasthan Stamp Act, 1998 shall be remitted.

[No.F.4(3)FD/Tax/2017-123]
By order of the Governor,

(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government